रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2013/आषाढ़ 12, 1935
No. 329] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2013/ASHADA 12, 1935

वित्त मंत्रालय
(विभाग राजस्व)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3जुलाई,2013

सं (एडीडी) सीमा शुल्क -2013/ 14.

सा .नि.का.459,-जहां कि चीनी ताइपेई (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित, या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित किये जाने वाले एसीटोन (जिसे एतश्मिन पश्चात् विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनिमय, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्ते सीमा-शुल्का टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2914 11 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में नामित प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत, अधिसूचना सं. 14/04/2006-डीजीएडी, दिनांक 4 जनवरी, 2008, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड, I में दिनांक 4 जनवरी, 2008 को प्रकाशित किया गया था, में विषयगत देश से होने वाले विषयगत माल के सभी आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश करता है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति न हो;

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रि सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33/2008- सीमा-शुल्क, दिनांक 11 मार्च, 2008, जिसे सा.का.नि. 174 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्डक 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स छंग छुन प्लास्टिक्स कं. लिमिटेड, चीनी ताइपेई में अपने द्वारा किये गये विषयगत माल के आयात की सीमा-शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं के अभिज्ञान, आकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्ती नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा करने का अनुरोध किया है और नामित प्राधिकारी ने अपने नये शिप रिव्यू अधिसूचना सं. 15/30/2010- डीजीएडी, दिनांक 20 अप्रैल, 2011 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में दिनांक 20 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित किया गया था में उपर्युक्ति पार्टी द्वारा किये गये विषयगत माल के सभी आयातों का तब तक के लिए अनंतिम आकलन किये जाने की सिफारिश की है जब तक कि इसके द्वारा समीक्षा का काम पूरा नहीं हो जाता है;

और जहां कि उक्त नियमावली के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नामित प्राधिकारी के सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2011- सीमा-शुल्क , दिनांक 27 मई, 2011, जिसे सा.का.नि. 416 (अ), दिनांक 27 मई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड, 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विचार करने के पश्चात् आदेश दिया है कि नातिम प्राधिकारी के द्वारा उक्त समीक्षा के निष्कर्ष विचाराधीन रहने के कारण विषयगत माल, जब इनका निर्यात मैसर्स छंग छुन प्लास्टिक कंपनी लि., चीनी ताइपेई द्वारा निर्यात किया गया हो और भारत में उनका आयात किया गया हो। तब तक अनंतिम समीक्षा के अधीन रहेंगे जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है;

और जहां कि पदनामित प्राधिकारी ने भारत के दिनांक 15 अप्रैल, 2011 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्डी I में प्रकाशित दिनांक 15 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. 15/2/2011- डीजीएडी के अंतर्गत उपर्युक्त देश की अथवा वहां से निर्यात किये जाने वाली उपर्युक्त् वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में उपर्युक्त नियमावली के नियम 23 के साथ पठित उपर्युक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा(5) की शर्तों के अनुसार समीक्षा शुरू की थी तथा भारत के दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के असाधारण के भाग I, खण्ड I में प्रकाशित, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं. 15/2/2011- डीजीएडी के अंतर्गत उपर्युक्त प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिये जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 29 मई, 2012 की सा.का.नि. सं. 398 (अ), के अंतर्गत भारत के दिनांक 27 मई, 2011 के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित वित्तर मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मई, 2012 की अधिसूचना सं. 29/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), के अंतर्गत उपर्युक्तत देश से उपर्युक्त वस्तुओं के आयात पर लगने वाला प्रतिपाटन शुल्क वापस ले लिया है;

और जहां कि पदनामित प्राधिकारी ने भारत के दिनांक 20 अप्रैल, 2011 के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्डि में दिनांक 20 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/30/2010-डीजीएडी के अंतर्गत शुरू किए गए न्यू शिप रिव्यू मामले में भारत के दिनांक 17 अप्रैल, 2013 के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में प्रकाशित दिनांक 17 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 15/30/2010-डीजीएडी में अपने अंतिम निष्ककर्ष के अंतर्गत विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात पर 201.27 यू एस डालर प्रति एम टी प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी जब ये वस्तुएं मैसर्स छंग छुन प्लास्टिक कंपनी लि. चाईनीज ताइपेई द्वारा निर्यात की जाए और तथा अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करने वाली न्यू शिप रिव्यू की जांच पड़ताल शुरू करने की तारीख अर्थात 20 अप्रैल, 2011 से राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29.5.2012 की अधिसूचना सं. 29/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा प्रतिपाटन शुल्कग के वापस लिये जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान भारत में आयात की जाए।

अब उपर्युक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित उपर्युक्त-सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्र सरकार एतद्वारा यह आदेश देती है कि मैसर्स छंग छुन प्लास्टिक कंपनी लि. चीनी ताइपेई द्वारा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के अनंतिम मूल्यां कन की सिफारिश करने वाली न्यू शिपर रिव्यू जांच पड़ताल की तारीख अर्थात 20 अप्रैल, 2011 से राजस्व विभाग की 29 मई, 2012 की अधिसूचना सं. 29/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क के वापस लिये जाने की तारीख तक तथा दिनांक 27 मई, 2011 की सा.का.नि.सं. 416(अ) के अंतर्गत भारत के दिनांक 27 मई, 2011 के राजपत्र असाधारण के भाग-2, खंड-3 उपखंड-(i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 44/2011-सीमा शुल्क के अनुक्रम में अंनतिम मूल्यांकन के अध्याधीन, 201.27 प्रति एमटी यू एस डालर प्रतिपाटन शुल्क की अदायगी पर अंतिम मूल्यांकन के अध्यधीन होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से इस प्रकार के प्रतिपाटन शुल्क की गणना के आशय से लागू विनिमय दर वहीं होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाती है तथा विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए संगत तारीख, उपर्युक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

(फा.सं.354/65/2007-टीआरयू (भाग-1)

अक्षय जोशी अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd July, 2013
No. 14/2013-Customs (ADD)

G.S.R. 459(E).—Whereas in the matter of import of Acetone (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2914 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) , originating in, or exported from, the Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority vide its final findings, in notification No. 14/04/2006-DGAD, dated 4th January 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 4th January, 2008 had recommended imposition of anti-dumping duty on all imports of the subject goods from subject country in order to remove the injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 33/2008-Customs, dated the 11th March, 2008, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th March, 2008 *vide* number G.S.R. 174 (E), dated the 11th March, 2008;

And whereas, M/s Chang Chun Plastics Co. Ltd, Chinese Taipei had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules) in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 15/30/2010-DGAD dated the 20th April, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th April 2011, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the said rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 44/2011-Customs, dated the 27th May, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th May, 2011 *vide* number G.S.R. 416 (E), dated the 27th May, 2011 had ordered that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when exported by M/s Chang Chun Plastics Co. Ltd, Chinese Taipei and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed;

And whereas, the designated authority vide notification No. 15/2/2011-DGAD, dated the 15th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th April,2011, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with of rule 23 of the said rules, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of said goods, originating in, or exported from, said country, and had recommended withdrawal of the said anti-dumping duty *vide* notification No. 15/2/2011-DGAD, dated the 10th April,2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th April,2012;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had withdrawn the antidumping duty on imports of said goods from the said country *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 29/2012-Customs (ADD), dated the 29th May, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th May, 2011 *vide* number G.S.R. 398 (E), dated the 29th May, 2012;

And whereas, the designated authority in the matter of new shipper review initiated *vide* notification No. 15/30/2010-DGAD dated the 20th April, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th April 2011*, vide* its final findings in notification No. 15/30/2010-DGAD, dated 17th April, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 17th April, 2013 had recommended to impose anti-dumping duty of USD 201.27 per MT on all imports of subject goods, when exported by M/s Chang Chun Plastics Co., Ltd., Chinese Taipei and imported into India during the period from the date of initiation of the new shipper review investigation recommending provisional assessment namely the 20th April, 2011 to the date of withdrawal of antidumping duty by Department of Revenue vide Notification No.29/2012-Customs (ADD) dated the 29th May, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18, 20 and 22 of the said rules, the Central Government, herby orders that all imports during the period from the date of initiation of the new shipper review investigation recommending

provisional assessment namely the 20th April, 2011 to the date of withdrawal of antidumping duty by Department of Revenue vide Notification No. 29/2012-Customs (ADD) dated 29th May, 2012 of the subject goods exported by M/s Chang Chun Plastics Co. Ltd, Chinese Taipei and subjected to provisional assessment in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 44/2011-Customs, dated the 27th May, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27th May, 2011 *vide* number G.S.R. 416 (E), dated the 27th May, 2011 shall be subjected to final assessment on the payment of anti-dumping duty of USD 201.27 per MT.

***Explanation*.—**For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/ 65/2007-TRU (Pt-1)]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई , 2013

सं. 15 (एडीडी) सीमा शुल्क-2013/

सा.का.नि. 460(अ).— जहां कि नामित प्राधिकारी ने यूरोपिन संघ (एतश्मिान पश्चात् जिसे बाद में विषयगतदेश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वह से निर्यातित "पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" जिसे पीबीसी इमल्शान रेजिन भी कहा जाता है, जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिसन जिसे टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 3904 22 10 के अंतर्गत जाता है, पर अंतिम रूप से निर्धारित प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के बारे में सनसेट रिव्यू की समीक्षा करने के पश्चात्, अधिसूचना सं0 15/27/2008-डीजीएडी, जिसे 26/04/2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 2 में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत देश में मूलत: उत्पातदित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के सभी आयातों पर निश्चतयात्मक प्रतिपाटन शुल्क के आरोपण को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जबकि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कहर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्वत विभाग) की अधिसूचना सं. 70/2010-सीमा-शुल्क, जिसे 25 जून, 2010 को (सा0का0नि0 553 (अ) दिनांक 25 जून, 2010 के तहत) भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित किया गया था के तहत विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया है;

और जहां कि माननीय सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने अपने दिनांक 6/07/2012 के आदेश से नामित प्राधिकारी के अंतिम निष्क्रषों को, जो कि अधिसूचना सं0 15/27/2008-डीजीएडी, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग -।, खंड । में प्रकाशित और अधिसूचना सं0 70/2010-सीमा शुल्क दिनांक 25 जून, 2010 , भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3 उपखंड (1) में दिनांक 25 जून, 2010 को प्राकाशित (सा0का0नि0 553 (अ), 25 जून, 2010) के तहत जारी किए गए थे, को निरस्त करता है और मामले को नामित प्राधिकारी के पास नए सिरे से निर्णय के लिए पुन: वापिस भेजता है ।

और जहां कि नामित प्राधिकारी सन्सेट रिव्यू कराने के पश्चात्, अधिसूचना सं0 15/27/2008-डीजीएडी, दिनांक 4/04/2013, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग -I, खंड । में 4 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित , के तहत इस निष्कतर्ष पर पहुंचते हैं कि

(i) विषयगत माल का भारतीय बाजार में प्रतिपादित मूल्य पर प्रवेश हो रहा है या और विषयगत भू क्षेत्र से आयातित विषयगत माल का पाटित मार्जिन पर्याप्त तथा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक था,

(ii) वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क के बावजूद विषयगत माल का प्रतिपाटन मूल पर भारत को निर्यात जारी था। वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थि ति और भी खराब हो गई इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को वापिस ले लिया जाता तो घरेलू उद्योगों को होने वाली क्षति को जारी रहने और इसके और भी गंभीर होने की स्थिति पैदा हो सकती थी ।

(iii) घरेलू उद्योग के कामकाज की स्थिति होने का कारण विषयगत भू क्षेत्र से किये जाने वाले पाटित आयात था ।

(iv) प्रतिपाटन शुल्क का वर्तमान स्तर जारी रहने वाले पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली परिणामगत हानि की समस्या का समाधान करने में अपर्याप्त था और इस प्रकार प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखना और इसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया था ।

और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के सभी आयातों पर निश्चयात्म्क परिपाटन शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) की उपधारा (5), उपधारा (i) के साथ पठित, और सीमा-शुल्क टैरिफ पाटित वस्तुओं के अभिज्ञान, आकलन और उन पर परिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण (नियमावली 1995) के नियम 18 तथा 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, केन्द्र सरकार नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त् अंतिम निष्कतर्षों के आधार पर, एततद्वारा एसे माल पर जिनका विवरण निम्ने सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्तए सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम को प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं और कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि, में विनिर्दिष्ट देश मूलत: उत्पादित हैं और उक्त सारणी के कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्ट्रि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, पर उस समय जब इनका आयात कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से कॉलम (7) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा की गई हो और उनका आयात भारत में किया गया हो और उनका आयात भारत में किया गया हो कॉलम (8) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टिन में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मापन की प्रति इकाई के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है ।

तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यातक	उत्पादक	राशि	राशि	माप की	मुद्रा
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(	)9(	)10(
1	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट	यूरोपीयन संघ	कोई	कोई	कोई	265.19	प्रति मीटर	अमरीकी डालर
2	3904	पोली विनायल क्लोराइड पेस्ट	कोई	यूरोपियन संघ	कोई	कोई	265.19	प्रति मीटर	अमरीकी डालर

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पोली विनायल क्लो-राइड पेस्ट रेजिन" में "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन", "पीवीसी ब्लेएडिंग रेजिन", "पीवीसी पेस्ट रेजिन", "के को-पॉलिमर्स", "बैटरी सेपरेटर रेजिन" तथा "पीवीसी पेस्टज रेजिन ऑफ के वेल्यू बिलो 60", शामिल नहीं हैं।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 70/2010-सीमा-शुल्क, दिनांक 25 जून, 2010 के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसको वापिस नहीं ले लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं कर दिया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और पतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पाष्टीकरण:-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य से लागू विनियम दर, वहीं दर होगी जा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के वापवाक्य (क) के उप-वाक्य (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट हैं और "विनियम दर" के निर्धारण की संगत तारीख वही होगी जिस तारीख को उक्तव सीमा शुल्क अधिनियम की धरा 46 के अंतर्गत आगम पत्र प्रस्तुत किया गया है।

[फा.सं. 354/88/2004-टीआरयू(भाग-I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2013

No. 15/2013-Customs (ADD)

G.S.R. 460(E).—Whereas, in the matter of levy of anti-dumping duty on Poly Vinyl Chloride Paste Resin also called as PVC Emulsion Resin (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 3904 22 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (herein after referred to as the said Customs Tariff Act), originating in, or exported from European Union (hereinafter referred to as the subject country), after conducting Sunset Review, the Designated Authority *vide* its final findings in notification No. 15/27/2008-DGAD, dated the 26th April, 2010 published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 26th April, 2010, had recommended the continued imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.70/2010–Customs, dated the 25th June, 2010, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th June, 2010 *vide* number G.S.R. No. 553(E), dated the 25th June, 2010;

And whereas, the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal *(*CESTAT*)* vide its order dated 6th July, 2012 set aside the final findings of the Designated Authority issued *vide* notification No.15/27/2008-DGAD,dated 26th April 2010, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated, the 26th April, 2010 and the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 70/2010-Customs, dated 25th June, 2010, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th June, 2010 *vide* number G.S.R. No. 553(E), dated the 25th June, 2010 and remanded the matter back to the Designated Authority for fresh decision;

And whereas, the designated authority vide notification No. 15/27/2008-DGAD, dated the 4th April, 2013, published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated, the 4th April, 2013, after conducting Sunset Review has come to the conclusion that :-

(i) the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margin of the subject goods imported from subject territory is significant and above the de-minimis limits prescribed. The subject goods continued to be exported to India at dumped prices inspite of existing anti dumping duties;

(ii) the situation of domestic industry has deteriorated further in spite of the existing anti dumping duties. Further, should the present anti dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify;

(iii) the deterioration in the performance of the domestic industry is because of dumped imports from the subject territory;

(iv) the current level of anti dumping duty is insufficient to address the continued dumping and consequent injury to the domestic industry and thus the anti-dumping duty is required to be extended and modified;

And has recommended the continued imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (4) , and produced by the producers specified in the corresponding entry in column (6), when exported from the country specified in the corresponding entry in column (5), by the exporters specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equal to the amount specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table;

TABLE

Sl. No.	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	European Union	Any	Any	Any	265.19	Per MT	US Dollar
2	3904	Poly Vinyl Chloride Paste Resin	Any	European Union	Any	Any	265.19	Per MT	US Dollar

***Explanation.*—**For the purposes of this notification, "Poly Vinyl Chloride Paste Resin" shall not include "PVC Suspension Resin", "PVC Blending Resin", "Co-polymers of PVC Paste Resin", "Battery Separator Resin" and "PVC Paste Resin with K-value below 60".

***Explanation*.—**For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

2. This notification shall be valid upto and inclusive of 24th June, 2015.

[F. No. 354/88/2004-TRU (Pt. I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.